अति– आवश्यक

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स – 0141–2222403, ई–मेल– dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट – www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/19/ 3451–3654 दिनांक :– 21.2.19

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :–बजट घोषणा संख्या 160 वर्ष 2018–19 (RUIRP-II) के अन्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्यो के कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट घोषणा संख्या 160 वर्ष 2018–19 RUIRP-II के अन्तर्गत राज्य की समस्त नगरीय निकायों क्षेत्रों मे अम्बेड़कर भवनों के निर्माण, शमशानों एवं कब्रिस्तानों के विकास, सार्वजनिक शौचालयों तथा सड़क–नाली मरम्मत एवं पुनर्रूद्वार के कार्य से सम्बन्धित कार्यो की क्रियान्विति की जा रही है। उक्त कार्यो को आवश्यकरूप से 15 मार्च, 2019 तक पूर्ण करवाकर पूर्णता प्रमाण–पत्र 25 मार्च, 2019 तक निदेशालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :– एफ 55( )Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/19/3655–3674 दिनांक :– 21.2.19
प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2 जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
3 निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4 मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
5 अधिशाषी अभियन्ता/सहायक लेखाधिकारी, अभियान्त्रिकी प्रकोष्ठ, निदेशालय।
6 प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
7 रक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता

कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र

नगर निकाय का नाम :–
कार्य का नाम : मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2018–19 (RUIRF-II)

(राशि रू. लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम / विवरण	कार्य / कार्य स्थलों की संख्या	निदेशालय से प्राप्त राशि	कार्यादेश राशि	कुल व्यय राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	अम्बेडकर भवन निर्माण					
2.	कब्रिस्तान / श्मशान के विकास कार्य					
3.	सार्वजनिक शौचालय का निर्माण					
4.	सड़क / नाली निर्माण / मरम्मत कार्य					
	योग				—	

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया गया है, जिस हेतु राशि जारी की गई है।
2. उपरोक्त कार्यो को जी–शिड्यूल में लिये गये आईटमों की विशिष्टताओं (Specification) के अनुसार पूर्ण करवाया गया है।
3. कार्यो की गुणवत्ता की जांच राज्य / भारत सरकार की टेस्टिंग लेब / राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज / एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार करवाई गई है एवं टेस्टिंग रिपोर्ट संतोषप्रद प्राप्त होने पर कार्यो का भुगतान किया गया है।
4. कार्यो की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच संतोषप्रद प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है।
5. कार्य की कियान्विति में आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 एवं विभागीय SOP की पूर्ण पालना सुनिश्चित की गई है।
6. निदेशालय द्वारा जारी आदेशानुसार सक्षम तकनीकी अधिकारी से कार्य की तकनीकी जांच करवाने के उपरान्त भुगतान किया गया है।
7. कार्य से सम्बन्धित गूगल ड्राईव के सभी सात प्रपत्र (एक्सल) पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर उपरान्त संलग्न किये हुये है।
8. कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य समाप्ति के पश्चात की कलर फोटोग्राफ संलग्न किये हुये है।
9. उक्त कार्यो की DLP का विवरण DLP रजिस्ट्रर में इन्द्राज कर ली गई है। प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की हुई है।
10. उक्त कार्यो का भुगतान संवेदक को नियमानुसार कटौती के उपरान्त किया गया है।
11. उक्त कार्यो से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत / जांच विचाराधीन नही है।
12. उपर वर्णित विवरण में गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में हम स्वयं जिम्मेदार होगें।

उच्चतम तकनीकी अधिकारी नगर निगम / परिषद / पालिका	उच्चतम लेखाधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका	आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका